गुरूनानक कॉलेज, धनबाद

छात्र संघ चुनाव, 2016

Model Code of Conduct (अचार संहिता)

1. क्या मैं चुनाव में छपे हुए पोस्टर लगा सकता हूँ ?
   नहीं, आप सिर्फ हाथ से लिखे हुए पोस्टर ही लगा सकते हैं।
2. क्या मैं लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकता हूँ?
   नहीं, यह वर्जित है,
3. क्या मैं प्रचार के लिए गाडियों का प्रयोग कर सकता हूँ ?
   नहीं, यह वर्जित है,
4. क्या मैं प्रचार के लिए जानवरों का प्रयोग कर सकता हूँ ?
   नहीं, यह वर्जित है,
5. क्या मैं किसी वर्ग में जाकर चुनाव प्रचार कर सकता हूँ ?
   नहीं, यह वर्जित है.
6. क्या मैं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कहीं भी पोस्टर लगा सकता हूँ ?
   नहीं, आप महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पोस्टर लगा सकते है।
7. क्या मैं महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की दीवारों पर नारे लिख/ लिखवा सकता हूँ ?
   नहीं, यह वर्जित है,
8. क्या मैं महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय परिसर से बाहर चुनाव प्रचार कर सकता हूँ ?
   नहीं, वर्जित है.
9. क्या मैं मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए वाहनों का उपयोग कर सकता हूँ ?
   नहीं, वर्जित है।
10. क्या मैं जाति, धर्म अथवा राष्ट्रीयता के आधार पर चुनाव प्रचार कर सकता हूँ ?
    नहीं, कोई भी मुद्दा जिससे आपसी वैमनस्य बढ़े, चुनाव की आचार संहिता के विरूद्ध हैं.
11. क्या मैं किसी राजनीतिक शख्सियत को चुनाव प्रचार के लिए बुला सकता हूँ ?
    नहीं, वर्जित है, इससे आपकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।
12. क्या मैं किसी बाहरी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए बुला सकता हूँ ?
    नहीं, सिर्फ आपके महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र के विद्यार्थी, जिनका नाम मतदाता सूची मैं है, चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते हैं।
13. चुनाव प्रचार में खर्च की अधिकतम सीमा क्या है?
    आप चुनाव प्रचार में अधिकतम 5000 रूपये खर्च कर सकते हैं।
14. क्या हम चुनाव के पहले किसी मुद्दे को लेकर महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में धरना प्रर्दशन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय पदाधिकारियों पर दबाब डाल सकते है?
    चुनाव की विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, यदि आपको कोई शिकायत है तो आप चुनाव शिकायत कोषांग में शिकायत कर सकते है। जो विधि निर्धारित कदम उठाएगा, यदि आप धरना प्रदर्शन अथवा कोई भी अनुचित दबाब डालते हैं तो यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा तथा आपकी उम्मीदवारी समाप्त हो सकती है।
15. मैं कब तक चुनाव प्रचार कर सकता हूँ ?
    आप मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले तक प्रचार कर सकते है। उदाहरण के तौर पर यदि 27 नवम्बर को 9 बजे सबेरे से 3 बजे अपराह्न तक मतदान होना है तो आपका चुनाव प्रचार 26 नवम्बर को 3 बजे अपराह्न समाप्त हो जायेगा।
16. क्या कोई प्रत्याशी चुनाव बूथ में उपस्थित रह सकता है ?
    नहीं, प्रत्याशी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि बूथ से कम–से–कम सौ मीटर की दूरी पर रहेंगे।